न्यायाधीश एस.एस. निज्जर और न्यायाधीश निर्मल यादव के समक्ष

जरनैल सिंह और अन्य ,— *याचिकाकर्ताओं*

बनाम

खलसा हाई स्कूल, अंबाला और अन्य , — *उत्तरदाताओं*

सी: डब्ल्यू पी. 16772 सन् 2000

20 जुलाई, 2005

भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 12, 21 और 226 — एक निजी ग़ैर सहायता प्राप्त संस्था अपने शिक्षकों को वेतन का भुगतान नहीं करते — चुनौती- स्कूल के प्रबंधन की परिभाषा 'राज्य' या 'अन्य प्राधिकरण' के दायरे में नहीं आती है अनुच्छेद 12 के तहत । कला के तहत 12- चाहे याचिका बरकरार नहीं है- हेल्ड, नहीं — उच्च न्यायालय के पास जारी करने की शक्ति है स्कूल के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश इसके अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं Art.21 का जनादेश — वेतन का भुगतान नहीं करने में स्कूल की कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित है और Art.21 का उल्लंघन करती है — स्कूल भी Art.43 में निहित निर्देश सिद्धांतों की अवहेलना करता है जो निषिद्ध है भुगतान के बिना किसी भी कर्मचारी से काम निकालना- याचिका की अनुमति है पूरे भुगतान करने के लिए स्कूल प्रबंधन को निर्देश देते हुए याचिकाकर्ताओं के कारण वेतन.

हेल्ड, प्रतिवादी स्कूल का प्रबंधन होगा "राज्य" या "अन्य प्राधिकरण" यानी वैधानिक की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत अधिकार. यह होगा जारी करने के लिए इस न्यायालय की शक्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध के रूप में कार्य नहीं करना प्रतिवादी-स्कूल के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश इसे लागू करने के लिए मजबूर करते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार. वर्तमान रिट याचिका समाज के खिलाफ बनाए रखने योग्य होगी, भले ही यह अनुच्छेद के तहत 'राज्य' या 'अन्य प्राधिकरण' नहीं होगा भारत के संविधान का 12. हम इस तक पहुंचने के लिए विवश हैं के कठोर और विध्वंसक उपेक्षा के कारण निष्कर्ष स्कूल की प्रबंधन समिति द्वारा संवैधानिक जनादेश.

(पैरा 8)

जर्नेल सिंह और अन्य वी. खालसा हाई स्कूल, अंबाला 21

और अन्य (एस.एस. निज्जर , *जे।)*

शिक्षकों को वेतन का भुगतान करना. स्कूल का रवैया पूरी तरह से अनुचित है. मूल रूप से, स्कूल को प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है छोटे बच्चों को शिक्षा. उस सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, शिक्षकों के पास है नियोजित किया गया है. भारत के संविधान का अनुच्छेद 43 विशेष रूप से किसी भी एम्प्लो से काम निकालने पर प्रतिबंध लगाता है· बिना भुगतान के. वहाँ विधियों की एक लंबी सूची है जो नियोक्ताओं पर कानूनी कर्तव्य डालती है न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करें. इस संस्था ने झंडे गाड़ दिए हैं संविधान के अनुच्छेद 43 में निहित निर्देश 'सिद्धांतों की अवहेलना की. याचिकाकर्ताओं को वेतन का 75% तक भुगतान किया गया था अप्रैल, 2003. तब से, यहां तक कि पूर्वोक्त वेतन का भुगतान नहीं किया गया है उन्हें. भुगतान न करने में प्रतिवादी-स्कूल की कार्रवाई अप्रैल, 2003 से शिक्षकों को वेतन अनुच्छेद का स्पष्ट उल्लंघन है भारत के संविधान का 21. कोई अधिकार या कोई निजी संस्थान नहीं भारत को बिना किसी व्यक्ति या कर्मचारी से काम निकालने की अनुमति है जीवित मजदूरी का भुगतान करना. चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का स्पष्ट उल्लंघन है, इसलिए न्यायालय पूरी तरह से न्यायसंगत होगा शिक्षकों को वेतन का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी-स्कूल को आवश्यक निर्देश जारी करने में.

(पारस 12,13, और 14)

एस.पी. लेयर , वाई.एस. तुर्क और दीपक अरोड़ा, एडवोकेट,

याचिकाकर्ताओं के लिए

एच. एस. गिल, वरिष्ठ वकील रमेश कुमार धिमन अधिवक्ता के साथ

स्कूलके लिए

रमेश्वर मलिक, अदल. ए.जी., हरियाणा राज्य के लिए

निर्णय

न्यायाधीश एस. एस. निज्जर, (ओरल) :

(1) हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है और मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

(2) हमारा यह निर्णय उपरोक्त रिट याचिकाओं का निपटारा कर देगा क्योंकि सभी रिट याचिकाओं में तथ्य और कानून बिंदु समान हैं।

(3) याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर 1-स्कूल यानी खालसा हाई स्कूल, अंबाला सिटी, हरियाणा में विभिन्न पदों पर शामिल हुए थे। पिछले कुछ समय से उन्हें किसी न किसी बहाने से वेतन नहीं दिया गया है। प्रारंभ में, स्कूल को सहायता प्राप्त थी। हालाँकि, स्कूल की प्रबंध समिति ने 02.09.2000 को एक प्रस्ताव पारित किया था, उसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:
"इस पर विचार करने के बाद, सरदार सुरगेद सिंह ने प्रस्ताव दिया कि भविष्य में अनुदान की प्राप्ति बंद कर दी जाए और स्कूल से सटी जमीन को किराए पर दे दिया जाए और कई किरायेदार अपने खर्च पर दुकानें बनाने के लिए उपलब्ध होंगे। यह भी प्रस्ताव रखा गया स्कूल की फीस उचित रूप से बढ़ाई जा सकती है और स्टाफ

कम किया जा सकता है और खर्चों में कटौती की जा सकती है और भविष्य में सरकार से अनुदान की प्राप्ति रोकी जा सकती है।"

(4) उपरोक्त संकल्प दिनांक 04.09.2000 को निम्नलिखित शर्तों में जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला शहर को सूचित किया गया था:

"टेलीफोन नंबर 530574 खालसा हाई स्कूल हिसार रोड, अंबाला शहर (हरियाणा)

संदर्भ। क्रमांक दिनांक: 4.9.2000

को

डीईओ

अम्बाला शहर.

विषय: खालसा हाई स्कूल, अंबाला शहर के लिए अनुदान सहायता का दावा न करने के संबंध में जानकारी।

महोदय,

प्रबंध समिति ने 2.9.2000 को अंबाला शहर में एक आकस्मिक बैठक की और निर्णय लिया कि भविष्य में खालसा हाई स्कूल की अनुदान सहायता प्राप्त नहीं की जाएगी और स्कूल को अपने संसाधनों और उपायों से चलाया जाना चाहिए। इस संबंध में आपको सूचित किया जा रहा है तथा अनुदान प्राप्ति बंद करने के संबंध में प्रबंध समिति के दिनांक 2.9.2000 के संकल्प की प्रति यहां भेजी जा रही है।

कृपया ध्यान दें कि विद्यालय द्वारा भेजे गए अनुदान सहायता पत्र वापस कर दिए जाएं और इस संबंध में सूचना 2.9.2000 को ही सूचित की जा रही है।

धन्यवाद,

एसडी/- विजेंदर सिंह,

प्रबंधक, खालसा हाई स्कूल, अंबाला शहर"।

(5) उपरोक्त दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए, स्कूल की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गिल का कहना है कि जिस समय याचिका दायर की गई थी, उस समय स्कूल एक सहायता प्राप्त संस्थान नहीं था। वर्तमान रिट याचिका 25.11.2000 को दायर की गई थी।

(6) स्लेट ऑफ हरियाणा की ओर से उपस्थित श्री रामेश्वर मलिक ने कहा है कि उपरोक्त संचार के आधार पर अनुदान सहायता रोक दी गई है और जिस समय याचिका दायर की गई थी उस समय स्कूल एक सहायता प्राप्त संस्थान नहीं था।

(7) उपरोक्त तथ्यों पर भरोसा करते हुए, स्कूल की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि वर्तमान रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी क्योंकि स्कूल अनुच्छेद 12 में निहित "राज्य" या "प्राधिकरण" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। भारत का संविधान। उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने यशपाल दलाल बनाम जाट एजुकेशन सोसाइटी (रजि.), रोहतक, (2000-3) 126 पंजाब कानून के मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा जताया है। रिपोर्टर 228, जिसमें यह माना गया है कि जाट एजुकेशन सोसाइटी के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 12के दायरे में नहीं आती है। उपरोक्त निष्कर्ष

पर पहुंचने के लिए, डिवीजन बेंच ने जी. बस्सी रेड्डी आदि बनाम अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया है। और अन्य, :

25. एक रीट लागू होती है जब याचिकाकर्ता यह स्थापित करता है कि उसके मौलिक अधिकार या किसी अन्य कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया है। अपीलकर्ता द्वारा अपनी रिट याचिका में किया गया दावा अनुच्छेद 14 और 16 पर आधारित है। दावा आईसीआरआईएसएटी के खिलाफ तब तक कायम नहीं रहेगा जब तक आईसीआरआईएसएटी अनुच्छेद 12के अर्थ के भीतर एक "राज्य" या प्राधिकरण नहीं होता। यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण कि क्या कोई संगठन है या तो, (एसआईसी) पर हाल ही में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा प्रदीप कुमार विश्वास बनाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी एंड अन्यमें विचार किया गया है । जिसमें हमने कहा:
"प्रत्येक मामले में सवाल यह होगा कि क्या स्थापित संचयी तथ्यों के आलोक में, निकाय वित्तीय, कार्यात्मक और प्रशासनिक रूप से सरकार के प्रभुत्व में है या उसके नियंत्रण में है। ऐसा नियंत्रण संबंधित निकाय के लिए विशेष होना चाहिए और होना ही चाहिए व्यापक। यदि यह पाया जाता है तो निकाय अनुच्छेद 12के तहत एक राज्य है । दूसरी ओर, जब नियंत्रण केवल नियामक है, चाहे क़ानून के तहत या अन्यथा यह निकाय को एक राज्य बनाने में काम नहीं आएगा।"

(8) उपरोक्त के मद्देनजर, यह स्पष्ट होगा कि प्रतिवादी-स्कूल का प्रबंधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 12के तहत "राज्य" या "अन्य प्राधिकरण" यानी वैधानिक प्राधिकरण की परिभाषा में नहीं आएगा। यह, हमारी राय में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21के जनादेश के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करने

के लिए प्रतिवादी-स्कूल को आवश्यक निर्देश जारी करने की इस न्यायालय की शक्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध के रूप में कार्य नहीं करेगा।

(9) याचिका की सुनवाई के दौरान, हमने विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजीव आत्मा राम से भी अनुरोध किया था कि क्या वह कानूनी प्रस्ताव पर कोई सहायता कर सकते हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील ने के. नकवी बनाम पंजाब राज्य और अन्य केमामले में विद्वान एकल न्यायाधीश के एक फैसले का संदर्भ दिया है। 2004(3) आरएसजे 136। मामलों के पूरे पहलू पर विचार करने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश (सूर्य कांत, जे.) भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पूरी तरह से निजी प्रवर्तन के लिए एक रिट याचिका पूरी तरह से निजी निकाय के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं होगी। अधिकार। लेकिन संवैधानिक कर्तव्यों के पालन के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ भी रिट याचिका सुनवाई योग्य होगी। हम फैसले के पैराग्राफ 20, 21 और 22 में सूर्यकांत, जे. द्वारा की गई टिप्पणियों का संदर्भ दे सकते हैं, जो इस प्रकार हैं:

20. उपरोक्त उद्धृत केस कानूनों से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुच्छेद 226के तहत रिट जारी करने की शक्ति अब वैधानिक अधिकारियों या राज्य के उपकरणों के प्रतिबंधित क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। यहां तक की सार्वजनिक कर्तव्य निभाने वाले किसी व्यक्ति या निकाय को भी उचित रिट के साथ आदेश दिया जा सकता है। यदि यह पाया जाता है कि सार्वजनिक कर्तव्य करने का अधिकार किसी निजी निकाय को राज्य या उसके उपकरणों या किसी वैधानिक प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया गया है, जैसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14के दर्शन का पालन करने के लिए निजी निकाय की हमेशा सराहना की जा सकती है, विश्वविद्यालय, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या

एआईसीटीई जैसे वैधानिक प्राधिकरण जो एक निजी संस्थान को मान्यता देने और/या संबद्ध करने के लिए सशक्त हैं, उन्हें भी आदेश दिया जा सकता है। सुनिश्चित करें कि ऐसा मान्यता प्राप्त और/या उनसे संबद्ध निजी निकाय अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में कार्य नहीं करता हैभारत के संविधान का। इसी प्रकार, यदि यह पाया जाता है कि संस्था संविधान या संबद्ध वैधानिक प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों/विनियमों के तहत एक दायित्व को पूरा करने में विफल रही है, तो उसे उचित रिट के माध्यम से हमेशा सार्वजनिक कर्तव्य निभाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। यदि सरकार द्वारा ऐसे संस्थान के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को निर्धारित करके या अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षा प्रदान करने वाले निजी संस्थान में रुचि पैदा की गई है, तो शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों को सार्वजनिक का एक तत्व मिलता है। अपने कर्तव्यों के पालन में रुचि और सार्वजनिक हित के ऐसे तत्व के लिए आवश्यक है कि उनकी सेवा की शर्तों को उचित रूप से विनियमित किया जाए। सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान बिना किसी अपवाद के शिक्षा प्रदान करके सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं और वे संबद्ध विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अधीन होते हैं, ऐसे संस्थानों में रोजगार किसी भी सार्वजनिक चरित्र से रहित नहीं होता है। यदि सरकार या उसके प्राधिकारी या ऐसे निजी सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने वाला कोई वैधानिक निकाय ऐसे निजी संस्थानों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने का निर्णय लेता है, तो ऐसे निजी संस्थानों के कर्मचारियों के बीच मास्टर और नौकर का रिश्ता पूरी तरह से नहीं रहेगा। एक निजी चरित्र का। नियमों/विनियमों को अधिनियमित करके ऐसे संबंधों को दी गई सुरक्षा, यदि आवश्यक हो, तो परमादेश की रिट के माध्यम से प्रबंधन को आदेश देने के लिए

पर्याप्त होगी। हालाँकि, यदि कोई कार्यालय/पद अनिवार्य रूप से निजी चरित्र का है, तो न तो समाप्ति के आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की प्रकृति में कोई रिट और न ही बहाली का आदेश देने के लिए कोई परमादेश किसी निकाय द्वारा अपने कर्मचारियों के प्रति दायित्वों के प्रदर्शन को सुरक्षित करने के लिए होगा। एक निजी विवाद सुलझाएं। इसी प्रकार, यदि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध अनुबंध पर आधारित है और पूरी तरह से मास्टर और नौकर का था, तो बहाली की राहत नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह सेवा के अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन को मंजूरी देने के समान होगा जो कानून में निषिद्ध है। इससे भी आगे, एक निजी संस्थान भले ही मान्यता प्राप्त या संबद्ध हो। विश्वविद्यालय जैसे वैधानिक निकाय के साथ, हालांकि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी होने के नाते यह पूरी तरह से निजी है , इसके कर्मचारी के पक्ष में सेवा में निरंतरता की कोई घोषणा नहीं की जा सकती है, भले ही रोजगार की समाप्ति गैरकानूनी पाई गई हो। ऐसे मामले में, विश्वविद्यालय जैसे संबद्ध वैधानिक प्राधिकरण संस्थान को असंबद्ध करने का हकदार हो सकता है, लेकिन किसी कर्मचारी की सेवा की बहाली की राहत को मान्यता नहीं दी गई है।

21. इसलिए, जो स्पष्ट रूप से उभरता है वह यह है कि जहां तक सावर्जनिक कर्तव्य के प्रदर्शन के संबंध में एक निजी निकाय या किसी व्यक्ति की गतिविधियों और कार्यों का संबंध है, ऐसे निकाय के शुद्ध निजी चरित्र के बावजूद, वे रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी हैं। और/या एक व्यक्ति और उन्हें हमेशा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21-ए या नियमों/विनियमों के अन्य प्रावधानों के अनुरूप ऐसे कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया जा सकता है। हालाँकि, अपने कर्मचारियों की भर्ती, ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तों के

प्रशासन या अन्य आंतरिक प्रबंधन से संबंधित मामलों से संबंधित ऐसे संस्थानों के कार्य और गतिविधियाँ पूरी तरह से निजी चरित्र के हैं और ये "सार्वजनिक कर्तव्य" से संबंधित नहीं हैं जो ऐसे संस्थान/निकाय या कोई व्यक्ति प्रदर्शन करता है.

22. कुछ नियमों और शर्तों पर शिक्षकों या अन्य कर्मचारियों का रोजगार, ऐसे शिक्षकों/कर्मचारियों का प्रशासन स्वयं विकसित नियमों के एक सेट के माध्यम से, राज्य या क़ानून की किसी भी सुरक्षात्मक छत्रछाया के बिना निजी निकाय के विनियमों के माध्यम से सर्वोत्तम अधिकार प्रदान करता है जो विशुद्ध रूप से हैं निजी चरित्र और ऐसे अधिकारों के किसी भी उल्लंघन या उल्लंघन को परमादेश रिट के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि यदि किसी विशेष मामले में शामिल विवाद किसी निजी संस्थान/निकाय द्वारा निभाए गए "सार्वजनिक कर्तव्य" से संबंधित है, तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका सुनवाई योग्य है और इसे हमेशा आदेश दिया जा सकताहै। भारत के संविधान, नियमों और विनियमों के साथ-साथ न्यायपूर्ण और निष्पक्ष सिद्धांतों के अनुरूप सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करें। भले ही एक निजी स्कूल को राज्य से कोई अनुदान सहायता नहीं मिलती है और न ही उसके प्रवेश किसी क़ानून द्वारा विनियमित होते हैं, फिर भी उसे जाति, नस्ल या लिंग आदि मानदंडों का उल्लंघन करते हुए प्रवेश देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हमारे संविधान के आदेश और निजी निकाय/संस्थान की ऐसी किसी भी कार्रवाई को अवैध घोषित किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसे निजी संस्थान/निकाय के शिक्षक या अन्य कर्मचारी न तो सरकारी संस्थानों में अपने समकक्षों के साथ समानता का दावा कर सकते हैं और न ही ऐसे कर्मचारियों की

सेवा शर्तों को विनियमित करने के उद्देश्य से ऐसे निजी निकाय/संस्थान को रिट जारी की जा सकती है। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 225 के तहत एक याचिका में मांगी गई राहत की प्रकृति यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या एक निजी संस्थान/निकाय उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी है या नहीं। जब तक राहत सार्वजनिक कर्तव्य के पालन तक ही सीमित है, रिट हमेशा झूठ बनी रहेगी, लेकिन एक बार यह ऐसे संस्थानों के शिक्षकों/कर्मचारियों की ऐसी स्थितियों के क्षेत्र में या ऐसे संस्थान के प्रबंधन से संबंधित आंतरिक मामलों में पहुंच जाती है। /निकाय, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कोई राहत नहीं दी जा सकती है, जहां क़ानून के तहत बनाए गए कुछ क़ानून, नियम/विनियम या यहां तक की ऐसी सेवा शर्तों और/या संस्थान के मामलों को विनियमित करने वाले राज्य सरकार के एक कार्यकारी आदेश हैं।

(10) हम न्यायाधीश सूर्यकांत, की टिप्पणियों से सहमत हैं।

(11) हमारी सुविचारित राय है कि वर्तमान रिट याचिका इस समाज के खिलाफ सुनवाई योग्य होगी, भले ही यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" या "अन्य प्राधिकारी" नहीं होगी।स्कूल की प्रबंधन समिति द्वारा संवैधानिक आदेश की घोर और विध्वंसक अवहेलना के कारण हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य हैं।

(12) हम शिक्षकों को जानबूझकर वेतन का भुगतान न करने में समाज द्वारा अपनाए गए टकराववादी रवैये को गहरी पीड़ा के साथ देखते हैं। स्कूल का रवैया पूरी तरह अनुचित है। जाहिरा तौर पर, स्कूल की स्थापना छोटे बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। उस सार्वजनिक उद्देश्य के लिए शिक्षकों को नियोजित किया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 43विशेष रूप से

किसी भी कर्मचारी से बिना भुगतान के काम लेने पर रोक लगाता है। क़ानूनों की एक लंबी सूची है जो नियोक्ताओं पर जीवनयापन के लिए न्यूनतम मज़दूरी का भुगतान करने का कानूनी दायित्व डालती है। इस संस्था ने संविधान के अनुच्छेद 43में निहित निदेशक सिद्धांतों की घोर अवहेलना की है । याचिकाकर्ताओं को अप्रैल, 2003 तक वेतन का 75 प्रतिशत भुगतान किया गया था। तब से, उन्हें उपरोक्त वेतन का भी भुगतान नहीं किया गया है। प्रबंध समिति के घोर कुप्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा राज्य ने उचित आदेश जारी करके स्कूल को अपने कब्जे में लेने की मांग की। स्कूल को 17.01.2003 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि क्यों न इसे अपने कब्जे में ले लिया जाए। अंबाला में सिविल कोर्ट द्वारा जारी अंतरिम आदेशों के कारण इस प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है।

(13) विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गिल ने अदालत को सूचित किया कि उपरोक्त कारण बताओ नोटिस को सिविल कोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अल्पसंख्यक संस्थान होने के कारण स्कूल का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। जो भी हो, हम पाते हैं कि अप्रैल, 2003 से शिक्षकों को वेतन का भुगतान न करने की प्रतिवादी-स्कूल की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 21का स्पष्ट उल्लंघन है।भारत में किसी भी प्राधिकरण या निजी संस्थान को जीवनयापन मजदूरी का भुगतान किए बिना किसी व्यक्ति या कर्मचारी से काम लेने की अनुमति नहीं है।

(14) श्री गिल का कहना है कि स्कूल के पास कोई फंड नहीं है। इसके बाद, हमने वरिष्ठ वकील श्री गिल से पूछताछ की कि क्या किसी शिक्षक की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रबंधन ने वर्तमान रिट

याचिका के लंबित होने के कारण किसी भी शिक्षक की सेवाओं को समाप्त करने से परहेज किया है। हम विद्वान वरिष्ठ वकील की दलील से पूरी तरह प्रभावित नहीं हैं। वर्तमान रिट याचिका केवल परमादेश की प्रकृति में प्रतिवादी-स्कूल को वेतन का भुगतान करने का निर्देश देने वाली रिट की मांग कर रही थी। याचिकाकर्ताओं द्वारा ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की गई कि उन्हें स्कूल में सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाए। इस न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम निर्देश जारी नहीं किये गये थे। तो, स्पष्ट रूप से समाज ने उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का बेशर्मी से शोषण किया है जिसमें ये शिक्षक खुद को पाते हैं। हम इस तरह के रवैये का सामना करने में असमर्थ हैं।चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21का स्पष्ट उल्लंघन है, इसलिए शिक्षकों को वेतन का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी-स्कूल को आवश्यक निर्देश जारी करना न्यायालय के लिए पूरी तरह से उचित होगा। हमारे इस दृष्टिकोण को श्री अनादि मुक्त सद्गुरु श्री मुक्तजी वंदसजीस्वामी सुवर्ण जयंती महोत्सव स्मारक ट्रस्ट और अन्य केमामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से समर्थन मिलेगा। वी. वी.आर रुदानी और अन्य

(15) मिस रवनीत कौर बनाम द क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, लुधियाना, 5 (1997-2)116 द पंजाब लॉ रिपोर्टर 321 के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले से हमारा दृष्टिकोण और मजबूत हुआ है, जिसमें निम्नलिखित है निर्णय के पैराग्राफ 59 में प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है- "उपरोक्त के मद्देनजर, हम मानते हैं कि:

(i) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ इंग्लैंड में किंग्स बेंच के न्यायालय की शक्तियों से अधिक व्यापक हैं।

(ii) उच्च न्यायालयों की शक्ति विशेषाधिकार रिट के मुद्दे तक ही सीमित नहीं है जैसा कि शुरू में इंग्लैंड में समझा गया था। इंग्लैंड में न्यायालयों पर जो प्रक्रियात्मक प्रतिबंध लगाए गए थे, वे इस देश में उच्च न्यायालयों को बाध्य नहीं करते हैं। उच्च न्यायालयों को न केवल उत्प्रेषण, परमादेश आदि की प्रकृति में रिट जारी करने का अधिकार है, बल्कि मौलिक अधिकारों को लागू करने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए आदेश और निर्देश भी जारी करने का अधिकार है।

(iii) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तिअनुच्छेद 32 के तहत शक्ति की तरह मौलिक अधिकारों को लागू करने तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करने वाले किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी को भी रिट, आदेश या निर्देश जारी कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए।

(iv) अनुच्छेद 226 में प्रयुक्त शब्द "कोई भी व्यक्ति या प्राधिकारी" का अर्थ केवल अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य या वैधानिक प्राधिकारी नहीं है । ये सार्वजनिक कर्तव्य निभाने वाले किसी भी व्यक्ति या निकाय को कवर करते हैं।

(v) समुदाय के लिए "स्वास्थ्य" के महत्व को देखते हुए, चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं एक अलग वर्ग बनाती हैं। ये संस्थाएँ सार्वजनिक कर्तव्य निभाती हैं और राज्य के प्रयासों को पूरक बनाती हैं। किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य वैधानिक जांच निकाय से संबद्ध होकर, वे राज्य के साथ भागीदार बन जाते हैं। इस प्रकार, वे भाग-III में निहित प्रतिबंधों के अधीन हैं। वे भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और उपयुक्त विश्वविद्यालय/निकाय द्वारा बनाए गए नियमों/विनियमों के अनुरूप

कार्य करने के लिए बाध्य हैं। जब भी वे अनुचित, मनमाने ढंग से कार्य करते हैं या संविधान के भाग-III या विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों आदि में निहित निषेधों का उल्लंघन करते हैं, तो उनके कार्यों को सर्टिओरीरी रिट या किसी अन्य उचित रिट, निर्देश या आदेश जारी करके ठीक किया जा सकता है। इसी प्रकार, यदि यह पाया जाता है कि कोई संस्था संविधान या उपयुक्त निकाय द्वारा बनाए गए नियमों/विनियमों के तहत एक दायित्व को पूरा करने में विफल रही है, तो उसे परमादेश की रिट जारी करके अपना कर्तव्य निभाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। हालाँकि, यह सिद्धांत प्रत्येक निजी स्कूल या कॉलेज के मामले में लागू नहीं होगा।

(vi) प्रीतम सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले।(1982)84 पीएलआर 530 और गुरप्रीत सिंह सिद्धू बनाम पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और अन्य।(1983)85 पीएलआर 46 (एफबी) में कानून की सही व्याख्या नहीं है और इसे खारिज कर दिया गया है।" 16. हमारी राय में, प्रतिवादी-स्कूल द्वारा निष्क्रियता इतनी गंभीर है, हमें निर्देश जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं मिलता है शिक्षकों को वेतन भुगतान हेतु।

(16) हमारी राय में, प्रतिवादी-स्कूल द्वारा निष्क्रियता इतनी गंभीर है, हमें निर्देश जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं मिलता है शिक्षकों को वेतन भुगतान हेतु।

(17) इस स्तर पर, स्कूल की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गिल का कहना है कि प्रतिवादी-स्कूल की आय लगभग रु. मात्र 7000/-।

ऐसे में शिक्षकों को भुगतान करना असंभव होगा। हम इस निवेदन पर विचार करने से भी इनकार करते हैं।

(18) भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के स्पष्ट उल्लंघन के मद्देनजर, हम प्रतिवादी स्कूल को याचिकाकर्ताओं को देय संपूर्ण वेतन का भुगतान करने का निर्देश देते हैं, जिसमें वेतन का 25 प्रतिशत यानी अप्रैल, 2003 तक स्कूल का हिस्सा और संपूर्ण शामिल है। अप्रैल, 2003 से भुगतान तक वेतन। शिक्षकों को छह समान किस्तों में छह माह के अंदर राशि का भुगतान किया जाये। पहली किस्त 07.08.2005 को या उससे पहले शुरू होगी।

(19) उपरोक्त शर्तों में रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं। कोई लागत नहीं उठाना।

(20) इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के विशेष सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणित करके याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को दी जाएगी।

.

R.N.R.

इससे पहले एस.एस. निज्जर, और निर्मल यादव, जेजे

V.P. *GUPTA, एल-याचिका*

बनाम

भारत और संघ *OTHERS, — उत्तरदाताओं*

C.W.P. 2003 की संख्या 4851

5 सितंबर, 2005

भारत का संविधान, 1950 — कला. 226 — NHPC आचरण, अनुशासन और अपील नियम — R1. 37.2 — शुल्क का *झूठे टीटीए बिल जमा करना — विभागीय जांच के बाद अध्यक्ष-सह-एम.डी. अनुशासनात्मक प्राधिकरण के रूप में कार्य करना सेवा से हटाने का आदेश देना याचिकाकर्ता — में एक ही अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता की अपील का बर्खास्तगी 'अपीलीय प्राधिकारी' होने की क्षमता — याचिकाकर्ता की समीक्षा याचिका निदेशक मंडल द्वारा भी खारिज कर दिया गया — अध्यक्ष-सह-निदेशक उसी अधिकारी ने बोर्ड की बैठक अध्यक्ष के रूप में आयोजित की — चाहे कोई व्यक्ति हो* कर सकते हैं *अपने स्वयं के आदेश पर अपील में बैठें — Held, no — अनुशासनात्मक प्राधिकरण के रूप में कार्य करने वाले एक ही अधिकारी द्वारा पारित आदेश।*

अभिस्वीकृति- *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इससे समझ सके और किसी अन्य उद्देस्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यायहारिक और आधिकारिक निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वियन के उद्देस्य के लिए उपयुक्त होगा।*

अनुराग यादव
प्रसिक्षु न्यायिक अधिकारी
(TraineeJudicialofficer)
नारनौल, हरियाणा